न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/321

1. देवा आत्मज माधो जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. प्रभू आत्मज देवा जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. शंकर आत्मज नारायण जाति माली निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. उद्धा आत्मज नारायण जाति माली निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. नन्दकिशोर आत्मज नारायण जाति माली निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कजोडी बाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. उद्धा आत्मज माना जाति माली निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. मोहनी पुत्री धन्ना पत्नी महावीर जाति माली निवासी ग्राम सथूर हाल निवासी बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. ग्यारसी बाई पुत्री धन्ना पत्नी रमेश जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. लाड पुत्री धन्ना पत्नी महावीर जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. मीना पुत्री धन्ना आयु 18 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. रामधणी पुत्री धन्ना जाति माली निवासी सथूर नाबालिग द्वारा संरक्षक माता भूरी बाई बेवा श्री धन्ना जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. भूरी बेवा धन्ना पुत्रवधु माना जी जाति माली निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. धापू पुत्री माना पत्नी बिरधीलाल जाति माली निवासी ग्राम सथूर हाल बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्यामदत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 2247 रकबा 06 बिस्वा स्थित है । उक्त गै0मु0 चाह (कृषि भूमि) वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 3 से 12 के नाम खाते पर इन्द्राज हैं जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 व 3 से 12 अपनी–अपनी भूमियों को कुए से सिचिंत करते हैं । जहॉ पर पक्षकारों के पूर्वजों के देवा झुंझार जी महाराज का चबूतरा बना हुआ है । उक्त कुए में पानी नहीं रहने के कारण बोरिंग लग जाने से उक्त कुए से 05–06 वर्षो से कृषि भूमि को सिंचित करना बन्द हो गया है । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मन में बदनियति आ गई है एवं वे नाजायज रूप से उक्त कुए को बन्द कर उसकी कृषि भूमि को हडपना चाहते हैं । प्रतिवादी क्रम 01 ने अपने हिस्से की भूमि पर बिना वादीगण एवं प्रतिवोदी क्रम 3 से 12 की सहमति से नाजायज रूप से पक्का मकान बना लिया है तथा शेष भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त भूमि पर आने जाने से नहीं रोके एवं कुए से पानी लेने से नहीं रोके एवं उक्त भूमि पर अतिक्रमण करके कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 व 02 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत की सूचना दिये बिना उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा नम्बर 2247 रकबा 06 बिस्वा गै0मु0 कुआ का विधिवत बंटवारा नहीं होने के बावजूद भी बंटवारा किये जाने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी क्योंकि लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.05.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर

यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ एक दावा इस आशय का पेश किया था कि गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 2247 रकबा 06 बिस्वा वाके ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । चाह संयुक्त खाते में दर्ज है जिससे समस्त सहखातेदारान अपनी–अपनी भूमियों को सिंचित करते थे । समय के बदलाब के साथ कुए में पानी नहीं रहने से पिछले 05–06 वर्षों से कुए से सिंचाई करना बन्द हो गया है और झुंझार जी की सेवा पूजा पक्षकारान निर्विवाद रूप से करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण कुए को बन्द कर इस आराजी को हडपना चाहते हैं । अतः दावा वादी डिक्री किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में दावा वादी डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत की अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में राजीनामा का हवाला दिया है । कुए का बंटवारा करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2017 को अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया था और यह कथन किया था कि पक्षकारान के मध्य दिनांक 28.06.2016 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.04.2017 से 18.05.2017 दी गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 04.05.2017 को पत्रावली दिनांक 10.05.2017 को लोक अदालत के लिए नियत की गई । दिनांक 10.05.2017 को वादी एवं वादी संख्या 02 के पुत्र की उपस्थिति दर्ज करते हुए राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना अंकित करते हुए डिक्री किया है । दिनांक 13.02.2017 को अपीलान्ट ने जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया है उसमें दावा

खारिज करने की प्रार्थना की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा डिक्री किया है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दावे के अनुसार वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसके बाबत् सहखातेदारान के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और इस दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री किया है । दिनांक 18.05.2017 को जो तारीख नियत की गई थी उससे पूर्व ही दिनांक 10.05.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । दिनांक 10.05.2017 को अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं सिर्फ वकील वादी और वादी संख्या 2 के पुत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु अपीलान्टगण को कोई नोटिस जारी किया गया हो इसका कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

14. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/02/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा